

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिक्ष/परिषद/सम्बद्धता/3020/1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

:-कार्यालय धाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काबलिजत ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संख्या सत्र 2020-21 हेतु विनियम राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 1000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आगत, प्राविधिक शिक्षा परिषद, 1000 लखनऊ को अम्बदाता से परिषद कार्यालय में डेटक संख्या हुई। डेटक ने समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता बुद्धि सहित अन्य चर्चा पर विचार करने हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को डेटक के नद-3 में डिप्लोमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम सम्बन्धिता करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को प्रकरण तथा नद-3 सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवा निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, 1000 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आगूत सम्बद्धता समिति की डेटक ने किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में विना संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 1000 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. संख्या	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता	पीठसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1082 बी.ए. युनि. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन विहार बस स्टॉप, बागमती, अजमेर।	डिप्लोमा इन कार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीआईआईओ/पीठसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1982, संशोधन विनियमनकारी-2018 तथा अन्य विनियमन नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,000.00/- प्रतिवर्ष की वार्षिक कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की वार्षिक प्राय/उपभू से प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक के अतिरिक्त प्राय/उपभूओं में शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर

(Handwritten Signature)

साथ ही निर्णय किया जाने वाले साक्षात्कार प्रस्तावों को भी तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित शर्तों द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्विचार किया जाता है, जो नीचे की शर्तों पर अनुमोदन करने योग्य है।

- ✓ संस्था को (2020) प्रतिष्ठित शिक्षा परिषदों तथा एवं समितियों, संस्थानों को सम्बन्धित किया जाना (विश्वविद्यालयी-2020 की शर्तों पर अनुमोदन करना होगा।)
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा उपरोक्त शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों को तिला यह करने की शक्ति में प्रत्येक प्रवेश साधन के निर्देशानुसार ही प्रवेश को कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत साक्षात्कारों के अनुसार विभिन्न एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एमआईसीआईसी/बीसीआईसी से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था प्रस्ताव प्रवेश साधन द्वारा इनमें नये विधि/विधियों/अभिव्यक्तियों/साक्षात्कारों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा कराये गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम को साक्षात् एवं विसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अक्षमता रहती है तो इस संबंध में संस्था को तत्काल विचार करना पड़ेगा और विभिन्न रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था को उत्तरदायी होगी। प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद तथा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद विना उचित प्रवेश साधन के कोई एक उपाय किया जाता है तथा उपाय अर्थ के अर्थ में नए साक्षात्कारों द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी कार्यवाही किया जाता है तो संस्था को तत्काल विचार करना पड़ेगा और विचार कर लेनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम को संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा उपरोक्त शर्तों के लिए अनिवारित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही करना होने के लिए (बीसीआईसी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अथवा अन्य प्रवेश को (अव्यक्तित्व के अर्थ में अथवा संस्था स्तर पर सीटों प्रवेश) अनुमोदन नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ प्रवेश प्रवेश साक्षात्कार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आगमन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की (वित्तीय) प्रतिवृत्ति, अर्थ, साक्षात्कार, प्रवेश, प्रवेश किया जाने वाला शुल्क, साक्षात्कार शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विचार-प्रतिष्ठा हेतु उपरोक्त साक्षात्कार उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक संस्थानों के सम्बन्ध में संस्था को उत्तरदायी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रवेशित/उपलब्ध पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्धारित समिति के साथ उपलब्ध कराने वाले अनिवारित, भूमि-समाप्त, कार्यवाही, उपलब्ध इत्यादि को यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को साक्षात्कार में प्रयोग किया जाता है-और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था को प्रवेशित का प्रयोग किसी अन्य उपाय के लिए कर रही है तो संस्था को संस्था की सम्बन्धित साधनों को जमा करने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन न करने वाले प्रस्तावों को प्रस्तावित करने की शक्ति में विचारानुसार अनुशासनमक कार्यवाही की जायेगी।

(20 जून 2020 ति.)
सचिव

सूचना- शशिप/परिषद सम्बन्धित/2020/ 1972-3141

तद दिनांक: 18-09-2020

प्रतिष्ठित-प्रधानाचार्य/निदेशक, देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेट्रिकल साइंस लिमिटेड कास्टेड, बाराली, जयपुर।

(20 जून 2020 ति.)
सचिव

आर्षोत्तर

उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश लघु उच्च शिक्षा

संख्या- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लघु उच्च शिक्षा दिनांक- 09/08/2021

:-आर्षोत्तर आप:-

अखिल भारतीय लघु उच्च शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्योत्तम स्तरीय लघु उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्राविणिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविणिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लघु उच्च शिक्षा द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1952-DEV BHUMI INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCE NEAR BUS STAND,BALAMI,BAGHPAT-250626

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पठ्यक्रम/संशोधन/सी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविणिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविणिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग/पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले छात्रादेश प्रेषित होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस भी तदनुसार ही लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ० प्र०) प्राविणिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के विगत रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत छात्रादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आवश्यक सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविनयम/अधिनियम/शासनदेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविणिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविणिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्योत्तम इन परामेडी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सम्बन्ध उत्तरदायित्व संस्था का होगा और प्राविणिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविणिक शिक्षा

परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को भेड़े वाद दायर किया जाता है तथा वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित करने के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉलिफिकिंग चारम होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश वी (नरअडमिस्त्रिग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टॉक, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-आजान, पत्नीपर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य करने के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति भी जायेगी।
- ✓ संस्था के वित्तीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0आई0/ पी0सी0आई0/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(मुनीम कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राविष/परिषद् सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 08/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DEV BHUMI INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCE NEAR BUS STAND, BALAM, BAGHPAT-250626



(मुनीम कुमार सोनकर)

सचिव